RAJKIYA ENGINEERING COLLEGE, KANNAUJ
UTTAR PRADESH
(A GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE)

संख्याः 81/नि0का0/आर0ई0सी0/कन्नौज/2018-19 दिनांकः 22 मई, 2018

सेवा में,

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रेषित आवेदन पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से संस्थान में शैक्षिक पदों हेतु जारी विज्ञापन संख्याः 01/Advt./RECK/2017 के तहत चयन प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित सूचनायें, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आप किसी भी कार्यदिवस में संस्थान में उपस्थित होकर चयन प्रक्रिया आदि से सम्बन्धित सूचना जो मात्र आपसे सम्बन्धित है, देख अथवा निर्धारित शूल्क जमा कर प्राप्त कर सकती हैं।

भवदीय,

(डा0 अरूण कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक

सेवा में,

Director
Rajkiya Engineering College
KANNAUJ, U.P.

SUBJECT:- REC KANNAUJ में ASSISTANT PROFESSOR की नियुक्ति के सन्दर्भ में

महोदय निवेदन है कि प्रार्थी पद्मिनी सिंह ने REC KANNAUJ में Electrical Engineering Dept. में Assistant Professor के पद पर Apply किया था। प्रार्थी को निम्न सूचनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत प्रदान की जाएं —

1.) 8 october 2017 को Electrical Engineering Dept में Assistant Professor के पद के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी इसके पश्चात Interview के लिए चयनित सफल उम्मीदवारो की क्या Merit बनी इसकी सूचना दी जाए तथा प्रति संलग्न करें।

2.) प्रार्थी के 10th, 12th, B-Tech, M.Tech, Ph.D., Experience Published paper और लिखित परीक्षा में क्या Marks आए इसकी सूचना दें तथा प्रति संलग्न करें।

3.) Interview के लिए बुलाए गए उम्मीदवारो के 10th, 12th, B.Tech, M.Tech, Ph.D., Experience, Published paper और लिखित परीक्षा में क्या Marks आए इसकी सूचना दें तथा प्रति संलग्न करें।

4.) उत्तर प्रदेश सरकार की क्षैतिज आरक्षण नीति के अनुसार महिला आरक्षित सीटें की संख्या की सू... दें |

5.) प्रार्थी की महिला उम्मीदवारों में क्या Merit बनी सूचना दें तथा प्रति संलग्न करें |

6.) जिन महिला उम्मीदवारों को Interview के लिए बुलाया गया था उनके 10th, 12th, B.Tech, M.Tech, Ph.D., Experience, Published paper में क्या Marks आए सूचना दें तथा प्रति संलग्न करें |

7.) जिन महिला उम्मीदवारों को Interview के लिए बुलाया गया था उनके Domicile (पिता का भी Domic... की सूचना दी जाए तथा प्रति संलग्न करें |

8.) जिन महिला उम्मीदवारों को Interview के लिए बुलाया गया था उनकी जाति (Caste) की सूचना दी जाए तथा प्रति संलग्न करें |

9.) जिन महिला उम्मीदवारों को Vertical (OBC तथा SC/ST) आरक्षण नीति के अनुसार बुलाया गया था उसकी सूचना दी जाए तथा प्रति संलग्न करें |

10.) क्षैतिज आरक्षित सीट पर चयनित महिला उम्मीदवार की सूचना दें तथा प्रति संलग्न करें |

11.) Vertical आरक्षित सीट पर चयनित महिला उम्मीदवार की सूचना दें तथा प्रति संलग्न करें |

REC KANNAUJ ने 10th, 12th, B.Tech, M.Tech, Ph.D, P.h.D. pursuing (Research Experience), Experience Published paper को क्या Weightage दिया तथा लिखित परीक्षा को क्या weightage दिया गया इसकी सूचना दी जाए।

अभ्यार्थी को उपरोक्त '12' सूचनाएं निम्न पते पर प्रेषित करें।

डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश

सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कु0स0का0 / आर0टी0आई0 / 2018 / 9508 | दिनांकः ~~मार्च~~, 2018 03/4/2018

सेवा में,

महोदय,

कृपया आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में आपके आवेदन पत्र दिनांक **27.11.2017 को माह नवम्बर 2017 के पंजिका क्रमांक 98** पर पंजीकृत किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

आप द्वारा मांगी गयी सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि अपेक्षित सूचनायें राजकीय एवं राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेजो में शैक्षिक पदो की नियुक्ति से संबंधित है जिसका विज्ञापन संबंधित संस्थान / कालेज द्वारा स्वंय किया गया है। इस संबंध में अपेक्षित सूचनायें आप संबंधित संस्था से प्राप्त कर सकतें है

यदि आप उपर्युक्त विनिश्चय से क्षुब्ध हैं तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन इस पत्र के प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं जिनका पता निम्नवत है:–

कुलसचिव / प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0,
सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

भवदीय,

(डा0 आर0 के0 सिंह)
जन सूचना अधिकारी

[illegible] दहा रुपये [illegible] दस रुपये [illegible]

अपरक्राम्य
NEGOTIABLE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO प्रधान कुलसचिव अधिकारी

REC , Kannauj को

दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

₹ 10

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT

Kannauj

के डाकघर में अदा करें।

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

44F 291574

जन सूचना अधिकारी
राजकीय इंजनियरिंग कॉलेज, Kannauj

Subject:- Information Regarding RTI filed on 20/4/2018 and Appointment for the Post of Assistant Professor in Electrical Engineering Dept.

प्रार्थी Padmini Singh ने 20/4/2018 को एक RTI file किया था | जिसका Postal order No — 44F - 291519 है | प्रार्थी को 30 दिन से ऊपर हो रहे हैं सूचना माँगे हुए किन्तु अभी तक प्रार्थी को RTI - Act - 2005 के अन्तर्गत सूचना नहीं प्रदान की गई है | अतः प्रार्थी पुनः निम्न सूचनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत माँग रही है |

335/RECK
765-2018

1.) प्रार्थी को Academic Record में कुल कितने Marks प्राप्त हुए सूचना दें तथा प्रति संलग्न करें |

2.) प्रार्थी को Research Performance में कुल कितने Marks प्राप्त हुए सूचना दें तथा प्रति संलग्न करें |

3.) प्रार्थी को लिखित परीक्षा तथा उपरोक्त Point (1) व (2) को मिलाकर 80 Marks में प्रार्थी को कुल कितने Marks प्राप्त हुए सूचना दें तथा प्रति संलग्न करें |

4.) सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया में जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था उनके Marks Point 3 के अनुसार 80 में कितने बने सूचना दें तथा प्रति संलग्न करें |

5.) प्रार्थी ने 20/4/18 को Postal order No — 44F 291519 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं माँगी थी जो कि प्रार्थी को अभी तक प्राप्त नहीं हुई | इस विलम्ब का कारण बताएं |

6.) प्रार्थी को निम्न तालिका के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की प्रदान की जाए —

No.	महिला उम्मीदवार का नाम	जाति GEN/OBC SC-ST	पिता का Domicile	यदि विवाहित है तो पति का Domicile	Marks out of (50) Based on Research Perfor. & Academic Record	Marks in written Exam out of 30	M[illegible]

7.) प्रार्थी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि facts को hide करके प्रार्थी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। समय पर सूचना न देकर अतः प्रार्थी यह आशा करती है कि इस बार प्रार्थी का यह संशय दूर किया जाएगा तथा उपरोक्त सभी 6 सूचनाओं की जानकारी यथावत "सूचना के अधिकार अधिनियम 2005" के अन्तर्गत निम्न पते पर 30 दिन के भीतर दी जाए।